न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:–248/2022 दर्ज दिनांक 28.11.2022

जी सी एम एस न0 2022/1011 निर्णय दिनांक 16.01.2023

बबीता पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गुमाना का बास तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं।

आवेदिका

बनाम

1. झिमकोरी पतनी हंसराज जाति जाट निवासी गुमाना का बास तहसील गुढागौडजी
2. उप पंजियक तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं
3. तहसीलदार तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 16.01.2023

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी बबीता बनाम झिमाकोरी आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदकगण को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्राथीयागण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ की सरहद में भूमि खसरा न. 238 रकबा 0.74 है0 भूमि अवस्थित है, जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में आवेदिका का 7/12 हिस्सा तथा अनावेदक संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 है जो राजस्व रिकार्ड मे भी दर्ज है। लेकिन उक्त खाता शामलाती है आवेदिका व अनावेदक संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी उक्त भूमियो का विधिवत विभाजन नही किया है लेकिन आवेदिका अपनी उक्त भूमियो को अपने हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन करवाना चाहती है जिससे सहखातेदारो के मध्य अनावश्यक विवाद नही हो। दिनांक 24.11.2022 को आवेदीका अपने खेत में गई हुई थी तभी अनावेदक संख्या 1 के परिवार के 6 से 7 आदमी व औरते भी उक्त भूमि पर आई तथा आवेदिका को धमकी दी कि अनावेदक संख्या 1 मानसिक रूप से अस्वस्थ है जो सोचने समझने में असमथ्र है जो हमारे प्रभाव मे है तथा अनावेदक संख्या 1 की भूमि का बेचान भू माफिया किस्म के लोगो को करेगे । इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 के परिवार के लोग अनावेदक संख्या 1 की मानसिक स्थिति सही नही होने का नाजायज फायदा उठाते हुये बिना विधिवत विभाजन के भू माफिया गिरोह को बेचान करने पर आमादा है। यदि अनावेदिकागण व उसके परिवार अपनी मंशा में सफल हो जाते है तो आवेदिका को अपूर्णणीय क्षति होगी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाए कि ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ के भूमि खसरा न0 238 रकबा 0.74 है0 के किसी भाग का रहन, विक्रय, हस्तानान्तरण नहीं करे, आवेदकगण को मौके से बेदखल नहीं करे तथा तादौराने वाद मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई

एकपक्षीय बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में आवेदिका का 7/12 हिस्सा तथा अनावेदक संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 है जो राजस्व रिकार्ड मे भी दर्ज है। लेकिन उक्त खाता शामलाती है आवेदिका व अनावेदक संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी उक्त भूमियो का विधिवत विभाजन नही किया है लेकिन आवेदिका अपनी उक्त भूमियो को अपने हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन करवाना चाहती है लेकिन अनावेदका संख्या 1 व उसके परिवार के अन्य सदस्य भूमि को भू माफियो को बेचान करने तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अत प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अनावेदिकागण को दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:36 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचीत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ की वादग्रसत भूमि खसरा न. 238 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.7400 है0 में अनावेदिकागण मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

16/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 16.01.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:36 IST
Reason: SelfAttested